

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

आउटकम बजट 2024-25

धनराशि रु. लाख में

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		01-04-2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31-03-2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2023-24	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम वर्ष 2024-25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
		राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>राज्यपोषित योजनाएँ</b>								
मदरसों हेतु विविध अनुदान	राज्य के मदरसों में मूल-भूत सुविधाओं यथा बिजली-पानी, फर्नीचर, वॉटर प्यूरिफायर, टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था हेतु अनुदान दिया जाता है।	200.00		<ul style="list-style-type: none"> <li>लगभग 31 मदरसों को लाभान्वित किया गया।</li> <li>मदरसों में शिक्षा अवस्थापना सुविधाओं आदि के विकास में सुधार।</li> <li>ड्राप-आउट को न्यून किया गया।</li> </ul>	लगभग 100 मदरसों को लाभान्वित किया जायेगा।	<ul style="list-style-type: none"> <li>लगभग 100 मदरसों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य।</li> <li>मदरसों में शिक्षा अवस्थापना सुविधाओं आदि का सुधार।</li> <li>ड्राप-आउट को न्यूनतम स्तर तक लाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की आजीविका में सुधार।</li> <li>मदरसों में शिक्षा अवस्थापना सुविधाओं आदि का सुधार।</li> <li>शिक्षा के स्तर में सुधार।</li> </ul>	01वर्ष

<p>मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राएँ जिनके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य परीक्षा अथवा मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।</p>	<p>10.00</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● लगभग 15 आवेदकों को लाभान्वित किया गया।</li> </ul>	<p>25-मेधावी छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र/छात्राओं को मेडिकल सेवाओं के साथ-साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ी है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र/छात्राओं को मेडिकल सेवाओं के साथ-साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में भागीदारी बढ़ाना।</li> </ul>	<p>वित्तीय वर्ष</p>
<p>अल्पसंख्यक विकास निधि</p>	<p>अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की माँग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निधि की स्थापना की गयी है।</p>	<p>500.00</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल के साथ-साथ अन्य जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के 15 निर्माण पूर्ण किये गये।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल के साथ-साथ अन्य जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण पूर्ण किया जाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी माँग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं का विकास।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उनके जीवन स्तर को सरल-सुलभ बनाना।</li> </ul>	<p>वित्तीय वर्ष</p>

<p>अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान।</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएँ जिनकी द्वारा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।</p>	<p>376.10</p>		<p>अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राएँ जिनकी द्वारा हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में 1176 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है।</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना।</li> <li>● ड्राप-आउट को न्यून किया जाना।</li> <li>● अनुदान प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक छात्राओं की शिक्षा स्तर में सुधार एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहित।</li> <li>● बेटी-पढाओं बेटी बचाओं अभियान में भागीदारी।</li> <li>● अनुदान प्राप्त छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना।</li> </ul>	<p>शैक्षिक सत्र</p>
<p>मुख्यमंत्री हुनर योजना</p>	<p>अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि, द्वारा संचालित योजनाओं यथा जीविका प्रोत्साहन योजना, रहबर योजना, महिलाओं को सिलाई कठाई योजना को सम्मिलित करते हुए हुनर योजना बनायी गयी है।</p>	<p>300.00</p>		<p>अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि, द्वारा संचालित योजनाओं यथा हुनर योजना, स्वराजगार योजना एवं मौलाना आजाद एजुकेशन</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार महिलाओं/पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाना।</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार महिलाओं/पुरुषों को आत्मनिर्भर को बढ़ाया जाना।</p>	<p>अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी।</p>	<p>वित्तीय वर्ष</p>

अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना	बेरोजगार अल्पसंख्यकों को स्वयं का कारोबार स्थापित किये जाने हेतु ऋण निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।		200.00	फाइनेंस फाउण्डेशन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र आवेदकों को स्वरोजगार, शिक्षा एवं	अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना।	अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करना।	अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा स्वयं का व्यवसाय संचालित करना।	वित्तीय वर्ष
मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु अधिकतम ₹5.00लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है।	200.00	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अधिकतम रु. 5 लाख तक का ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाना।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अधिकतम रु. 5 लाख तक का ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण प्रदान।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं द्वारा देश-विदेश में शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में भागीदारी।	वित्तीय वर्ष	
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य।	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की माँग के अनुसार कब्रिस्तान की चाहर-दिवारी, खण्डजा निर्माण आदि निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाता है।		500.00	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की माँग के अनुसार 75 खण्डजा निर्माण आदि कार्यों को पूर्ण कराया गया है।	वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की माँग के अनुसार लगभग 20 कार्य पूर्ण कराये जाने हैं।	● अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी माँग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया गया है।	● अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को उनकी माँग के अनुसार आवस्थापना सुविधाओं का विकास कराये जाने पर अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाक/बसतियां में आवागमन सुगम	वित्तीय वर्ष

							किया गया है।	
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (MSDP 90:10 CSS)	केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों जहा पर 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी निवासरत् है ऐसे क्षेत्रों में इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण कराया जाता है।	30.00	5700.00	केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों जहा पर 25 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी निवासरत् है ऐसे क्षेत्रों में इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण कराया गया है।	केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर संबंधित विभागों को उक्त भवन हस्तगत करा दिये जायेगे।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक, छात्रावास का निर्माण आदि कराया जाना।</li> <li>● क्षेत्र में पठन-पाठन की सुविधा।</li> <li>● रोजगार परक पाठयक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी को कम किया जाना।</li> </ul>	केन्द्रपोषित उक्त योजनान्तर्गत इण्टर कॉलेज, छात्रावास, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई का निर्माण होने के उपरान्त क्षेत्र में निवासरत् छात्र/छात्राओं को विद्याध्यन, ट्रेनिंग आदि प्राप्त करने में सुविधा होगी।	वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति	38.16		केन्द्रपोषित/रा ज्य स्तर से	केन्द्रपोषित/राज य स्तर से उक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>● छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु</li> </ul>	वित्तीय वर्ष

शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100%CSS)	व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।			उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं में विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति हेतु अनुदान दिया जाता है।	छात्रवृत्ति योजनाओं में लगभग 25958 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकेगा।	किया जाना। S ड्राप-आउट को न्यून किया जाना। S छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।	छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर उन्हे अग्रेत्तर शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्राप-आउट को न्यून किया जा रहा है। छात्रवृत्ति प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा दर में सुधार आयेगा।	
अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100%CSS)	अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है।	21.74						वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृत्ति (100%CSS)	अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 10 तक प्रदान की जाती है।	49.88						वित्तीय वर्ष
अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति	राज्य में गरीबी की रेखा से दोगुनी आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	203.00						शैक्षिक सत्र